क्रम संख्या–53

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0

फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 45/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 27–02–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 01, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 01, सन् 2004)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :–

शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :–

शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "एक उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17, 19 तथा 22 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17, 19 तथा 22 में जहां–जहां शब्द "अध्यक्ष" तथा "सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष" के बाद "उपाध्यक्ष" भी पढ़ा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् दो नई उपधाराओं (4) व (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् दो नई उपधाराएं क्रमशः (4) एवं (5) निम्नवत् जोड़ दी जाएंगी :–

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 01 of 2004) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

No. 45/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 01 OF 2004)

to further amend The Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003 :

An

Act

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:--

Short title, Commencement & Extent

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force with immediate effect.

(3) It extends to the whole of Uttaranchal.

2. Clause (e) of section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :--

The words "and Vice-Chairman" shall be added after the word "Chairman."

Amendment of clause (e) of section 2 of the Principal Act

3. Sub-section (3) of section 3 of the Principal Act shall be amended as follows :--

The words "one Vice-Chairman" shall be added after the word "Chairman."

Amendment of sub-section (3) of section 3 of the Principal Act

4. In section 4, 6, 16, 17, 19 and 22 of the Principal Act, wherever the words "Chairman and Members" occur, shall be read as "Vice-Chairman" after the word "Chairman."

Amendment in the section 4, 6, 16, 17, 19 and 22 of the Principal Act

5. After sub-section (3) of section 8 of the Principal Act, two new sub-sections (4) & (5), respectively, shall be added as follows :--

Addition of two new sub- section (4) & (5) after sub-section (3) of section 8 of the Principal Act

(4) If the office of the Chairman falls vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairman.

(5) If the offices of both Chairman and Vice-Chairman fall vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधायी/128–2004–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।